कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,देहरादून।

87–राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष–0135–2745779 E-mail (cfyamu-forest-uk@nic.in)

पत्रांक– 240 /12–1, देहरादून, दिनांक, 19 अगस्त 2023।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
(वन संरक्षण) उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :– **जनपद देहरादून में विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत लौखण्डी बुधेर वन मोटर मार्ग से ग्राम पंचायत–बुल्हाड़ के ग्राम उदावां तक मोटर मार्ग हेतु वांछित 3.90 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव (FP/UK/ROAD/48173/2020)**

संदर्भ :– **Minutes of the Fortnightly Regional Coordination Meeting held on 24-01-2023.**

महोदय,

विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सम्बन्ध में उपरोक्त संदर्भित कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग द्वारा पत्रांक *793/12–1 दिनांक 14.08.2023* एवं पत्रांक *4940/12–1 दिनांक 06.05.2023* से आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। उक्त पत्रों से प्रेषित की गई आख्या मय संस्तुति के मूल में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 विनय भार्गव)
वन संरक्षक,
यमुना वृत, उत्तराखण्ड,देहरादून।

Scanned with CamScanner

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांकः– 793 / 12–1 चकराता, दिनांक 14 अगस्त 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून

विषय :– **जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत लोखण्डी बुधेर वन मार्ग से ग्राम पंचायत बुल्हाड़ के ग्राम उदावां तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 3.900 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यार्वतन।**
(Online no.FP/UK/Road/48173/2020)

संदर्भः– आपका ई0डी0एस0 दिनॉक 06.07.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग पर लगाई गई आपत्तियों की निराकरण आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक–735 / 15सी IV दि0 04.08.2023 से इस कार्यालय को उपलब्ध करा दी गई है। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है –

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण आख्या
1	Kindly provide the reply as per the instructions. 1- Provide the justification/reply of user agency with regards to the query. 2- 2-Also attach the technical guideline of PWD for road construction in hill area.	1–प्रयोक्ता एजेन्सी का उक्त पत्र संलग्न है। 2–प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0–एम.एल.ए.–109 / लो0नि0–1 / 2001–611(पी0डब्ल्यू0डी0) / 2001 दिनांक 29.10.2001 के अनुसार भविष्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा जो भी प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु निर्मित किये जाये, उसमें मोटर मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 5.95 मी0 रखी जाये तथा भविष्य में शासन द्वारा हल्का वाहन मार्ग (न्यूनतम चौड़ाई 4.25 मी0) के निर्माण की स्वीकृति न प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखण्ड शासन का पत्र संलग्न प्रेषित है।

संलग्नक :– **उपरोक्तानुसार**

भवदीया
(कल्याणी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

संख्या– 793 (1)/ 12–1 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि–अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता को उनके पत्रांक–735 / 15सी IV दि0 04.08.2023 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(कल्याणी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता

f the Executive Engineer, Temporary Div., PWD, Chakrata Uttarakhand

Website- http://pwd.uk.gov.in E-mail: eepwdchakrata10@rediffmail.com

पत्रांक : 735/15 सी0 4 दिनॉक: 04/08/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

विषयः– जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में लोखण्डी बुधेर वन मार्ग से ग्राम पंचायत बुल्हाड़ के ग्राम उदांवा तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.900 है0 वन भूमि का वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/4817/2020) (लम्बाई 5.00 कि0मी0)

सन्दर्भः– Online Query on dated 12 Jul 2023.

महोदय,

उपरोक्त विषय के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि प्रकरण पर दिनांक 12 जुलाई 2023 को जो आपत्ति लगाई गई है उसका निराकरण निम्नवत् कर प्रस्ताव मय साक्ष्यों सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है।

क.सं.	आपत्ति	निराकरण
1	Kindly provide the reply as per the instructions. 1- provide the justification/reply of user agency with regards to the query. 2- Also attach the technical guideline of PWD for road construction in hill area.	महोदय अवगत कराना है कि, पूर्व में आपके द्वारा मार्ग की चौड़ाई 3 से 4 मीटर प्रस्तावित किये जाने हेतु कहा गया था, जिसके अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या एम. एल.ए.–109/लो0नि0–1/2001–611(पी.डब्लू.डी.)/2001 दिनांक 29 अक्टूबर 2001 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करनें का कष्ट करें जिसमें पृष्ठ संख्या द्वितीय की प्रथम लाइन पर साफ–साफ निर्देशित किया गया है कि भविष्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा जो भी प्रस्ताव मोटर मार्ग हेतु निर्मित किये जाये उसमें मोटर मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 5.95 मीटर रखी जाये। तथा भविष्य में शासन द्वारा हल्का वाहन मार्ग (न्यूनतम चौड़ाई 4.25 मीटर) के निर्माण की स्वीकृति न प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः शासन का पत्र संलग्न कर पुनः वन भूमि प्रस्ताव आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(ई0 एल.के. गोयल)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि.,
चकराता।

पत्रांक................... /
दिनांक / 08/2023

प्रतिलिपिः– ई0 एस.एस. नेगी, सहायक अभियन्ता, अ0ख0, लो0नि0वि0, चकराता को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि.,
चकराता।

चकराता वन प्रभाग
पंजी0 संख्या 1183
पत्रावली संख्या ....
पत्रांक संख्या ....
दिनांक 8/08/2023

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

संख्या TMLA-109/लो०नि०-1/2001-61(पी डब्लूडी)/2001.

प्रेषक,

चन्द्र सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून(उत्तरांचल) ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 देहरादून:: दिनांक: 27 अक्टूबर/2001.

विषय:- लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल द्वारा भविष्य में हल्का वाहन मार्ग न बनाये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तरांचल में विगत कई वर्षों से हल्के वाहन मार्गों का निर्माण किया जा रहा है । इन हल्का वाहन मार्गों की वर्तमान चौड़ाई 4.25मीटर निर्धारित है तथा इनका उपयोग छोटे वाहनों के लिए ही संभव है । हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने में विशिष्टियों में अंतर होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । जहाँ तक वित्तीय उपाशय का प्रश्न है, हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने पर होने वाला व्यय मोटर मार्ग के निर्माण करने से अधिक होता है । इस प्रकार हल्का वाहन मार्ग निर्माण से प्रदेश सरकार पर अतिरिक्त व्ययभार भी पड़ता है, क्योंकि कभी न कभी हल्का वाहन मार्गों को मोटर मार्गों में परिवर्तित करना पड़ता है ।

2- इण्डियन रोड कांग्रेस की पर्वतीय मार्गों के निर्माण की संस्तुतियों के लिए निर्गत आईआरसी कोड में हल्के वाहन मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि ग्रामीण मार्गों के लिए न्यूनतम चौड़ाई 5.20मीटर प्रस्तावित है ।

3- हल्का वाहन मार्गों पर वर्षा ऋतु में स्लिप अथवा बोल्डर आ जाने से मार्ग क्षतिग्रस्त/अवरूद्ध हो जाते हैं और मार्ग यातायात हेतु बन्द हो जाता है । इन मार्गों के अनुरक्षण पर कम ध्यान दिये जाने के कारण मार्ग लम्बे समय तक बन्द रहते हैं और हल्के वाहन मार्ग के निर्माण का सिद्धान्त

—2

Scanned with CamScanner

समाप्त प्रायः हो जाता है । मोटर मार्ग के निर्माण की चौड़ाई 5.95मीटर निर्धारित है । अतः हल्के वाहन मार्ग तथा मोटर मार्ग निर्माण में 1.70 मीटर अतिरिक्त पहाड़ कटान, इसी अनुपात में प्रत्येक स्कपर की चौड़ाई अतिरिक्त रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है । शेष कार्य जैसे रिटेनिंग वाल/ब्रेस्टवाल, नाली, पैराफिट्स, स्कपर, किलोमीटर स्टोन दोनों में समान रूप से लगाये जाने के अलावा कुछ अतिरिक्त व्यय भूमि अध्याप्ति पर भी करना पड़ता है ।

4- अतः उक्त समस्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए हल्का वाहन मार्गों के निर्माण की व्यवहारिक उपयोगिता नहीं हो पाती है । साथ ही शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार भी आता है । अतः भविष्य में हल्का वाहन मार्गों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान न किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है । इसके अतिरिक्त जो हल्का वाहन मार्ग पूर्व में स्वीकृत हैं, उनपर कार्य प्रारम्भ न किये जाएँ बल्कि उन्हें मोटर मार्गों में परिवर्तित करने के लिए आगणन प्रस्तुत किये जाएँ । जो हल्का वाहन मार्ग निर्माणाधीन हैं, ऐसे मार्गों को स्वीकृति सीमा तक ही पूर्ण कर लिया जाए तथा भविष्य में प्रदेश के समस्त हल्का वाहन मार्गों को चरणबद्ध रूप में जिला योजना, राज्य योजना अथवा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मोटर मार्गों में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जाए ।

भवदीय,

(नृप सिंह)
अपर सचिव.

संख्या MLA-109 (1)8/लो0नि0-1/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन ।
2- निजी सचिव, मुख्यसचिव, उत्तरांचल शासन ।
3- सचिव/उप सचिव/अनु सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन
4- सचिव, नियोजन, उत्तरांचल शासन ।
5- आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
6- मुख्य अभियंता, लो0नि0वि0 पौड़ी/अल्मोड़ा ।
7- समस्त अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरांचल द्वारा मुख्य अभियंता स्तर-1, देहरादून ।
8- समस्त अधि0अभि0, लो0नि0वि0, उत्तरांचल, द्वारा, मुख्य अभियंता स्तर-1, देहरादून ।

---3

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

--3--

9- वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन ।

10- लोक निर्माण अनुभाग-1 एवं 2

11- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(जी०वी० ओली)
अनु सचिव.

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांकः– 793 / 12–1 चकराता, दिनांक 14 अगस्त 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून

विषय :– **जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत लोखण्डी बुधेर वन मार्ग से ग्राम पंचायत बुल्हाड़ के ग्राम उदावां तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 3.900 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यार्वतन।**
(Online no.FP/UK/Road/48173/2020)

संदर्भः– आपका ई0डी0एस0 दिनॉक 06.07.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग पर लगाई गई आपत्तियों की निराकरण आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक–735 / 15सी IV दि0 04.08.2023 से इस कार्यालय को उपलब्ध करा दी गई है। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है –

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण आख्या
1	Kindly provide the reply as per the instructions. 1- Provide the justification/reply of user agency with regards to the query. 2- 2-Also attach the technical guideline of PWD for road construction in hill area.	1–प्रयोक्ता एजेन्सी का उक्त पत्र संलग्न है। 2–प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0–एम.एल.ए.–109 / लो0नि0–1 / 2001–611(पी0डब्ल्यू0डी0) / 2001 दिनांक 29.10.2001 के अनुसार भविष्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा जो भी प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु निर्मित किये जाये, उसमें मोटर मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 5.95 मी0 रखी जाये तथा भविष्य में शासन द्वारा हल्का वाहन मार्ग (न्यूनतम चौड़ाई 4.25 मी0) के निर्माण की स्वीकृति न प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखण्ड शासन का पत्र संलग्न प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

भवदीया

(कल्याणी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

संख्या– 793 (1) / 12–1 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि–अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता को उनके पत्रांक–735 / 15सी IV दि0 04.08.2023 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(कल्याणी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता

UTTARAKHAND

f the Executive Engineer, Temporary Div., PWD, Chakrata Uttarakhand

Website- http://pwd.uk.gov.in E-mail: eepwdchakrata10@rediffmail.com

पत्रांक : 735/15 सी0 4 दिनॉक:04/08/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

विषयः– जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में लोखण्डी बुधेर वन मार्ग से ग्राम पंचायत बुल्हाड़ के ग्राम उदांवा तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.900 है0 वन भूमि का वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/4817/2020) (लम्बाई 5.00 कि0मी0)

सन्दर्भः– Online Query on dated 12 Jul 2023.

महोदय,

उपरोक्त विषय के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि प्रकरण पर दिनांक 12 जुलाई 2023 को जो आपत्ति लगाई गई है उसका निराकरण निम्नवत् कर प्रस्ताव मय साक्ष्यों सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है।

क.सं.	आपत्ति	निराकरण
1	Kindly provide the reply as per the instructions. 1- provide the justification/reply of user agency with regards to the query. 2- Also attach the technical guideline of PWD for road construction in hill area.	महोदय अवगत कराना है कि, पूर्व में आपके द्वारा मार्ग की चौड़ाई 3 से 4 मीटर प्रस्तावित किये जाने हेतु कहा गया था, जिसके अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या एम. एल.ए.–109/लो0नि0–1/2001–611(पी.डब्लू.डी.)/2001 दिनांक 29 अक्टूबर 2001 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करनें का कष्ट करें जिसमें पृष्ठ संख्या द्वितीय की प्रथम लाइन पर साफ–साफ निर्देशित किया गया है कि भविष्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा जो भी प्रस्ताव मोटर मार्ग हेतु निर्मित किये जाये उसमें मोटर मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 5.95 मीटर रखी जाये। तथा भविष्य में शासन द्वारा हल्का वाहन मार्ग (न्यूनतम चौड़ाई 4.25 मीटर) के निर्माण की स्वीकृति न प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः शासन का पत्र संलग्न कर पुनः वन भूमि प्रस्ताव आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

04/08/23

(ई0 एल.के. गोयल)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि.,
चकराता।

पत्रांक................... / दिनांक / 08/2023

प्रतिलिपिः– ई0 एस.एस. नेगी, सहायक अभियन्ता, अ0ख0, लो0नि0वि0, चकराता को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि.,
चकराता।

चकराता वन प्रभाग
पंजी0 संख्या 1183
पत्रावली संख्या /
पत्रांक संख्या /
दिनांक 8/08/2023

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

(प्राप्त)

संख्या TMLA-109/लो0नि0-1/2001-61(पी डब्लूडी)/2001.

प्रेषक,

चन्द्र सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून(उत्तरांचल) ।

निर्माण अनुभाग-1 देहरादून:: दिनांक: 27 अक्टूबर/2001.

विषय:- लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल द्वारा भविष्य में हल्का वाहन मार्ग न बनाये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तरांचल में विगत कई वर्षों से हल्के वाहन मार्गों का निर्माण किया जा रहा है । इन हल्का वाहन मार्गों की वर्तमान चौड़ाई 4.25मीटर निर्धारित है तथा इनका उपयोग छोटे वाहनों के लिए ही संभव है । हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने में विशिष्टियों में अंतर होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । जहाँ तक वित्तीय उपाशय का प्रश्न है, हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने पर होने वाला व्यय मोटर मार्ग के निर्माण करने से अधिक होता है । इस प्रकार हल्का वाहन मार्ग निर्माण से प्रदेश सरकार पर अतिरिक्त व्ययभार भी पड़ता है, क्योंकि कभी न कभी हल्का वाहन मार्गों को मोटर मार्गों में परिवर्तित करना पड़ता है ।

2- इण्डियन रोड कांग्रेस की पर्वतीय मार्गों के निर्माण की संस्तुतियों के लिए निर्गत आईआरसी कोड में हल्के वाहन मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि ग्रामीण मार्गों के लिए न्यूनतम चौड़ाई 5.20मीटर प्रस्तावित है ।

3- हल्का वाहन मार्गों पर वर्षा ऋतु में स्लिप अथवा बोल्डर आ जाने से मार्ग क्षतिग्रस्त/अवरूद्ध हो जाते हैं और मार्ग यातायात हेतु बन्द हो जाता है । इन मार्गों के अनुरक्षण पर कम ध्यान दिये जाने के कारण मार्ग लम्बे समय तक बन्द रहते हैं और हल्के वाहन मार्ग के निर्माण का सिद्धान्त

—2

समाप्त प्रायः हो जाता है । मोटर मार्ग के निर्माण की चौड़ाई 5.95मीटर निर्धारित है । अतः हल्के वाहन मार्ग तथा मोटर मार्ग निर्माण में 1.70 मीटर अतिरिक्त पहाड़ कटान, इसी अनुपात में प्रत्येक स्कपर की चौड़ाई अतिरिक्त रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है । शेष कार्य जैसे रिटेनिंग वाल/ब्रेस्टवाल, नाली, पैराफिट्स, क्रिरी, किलोमीटर स्टोन दोनों में समान रूप से लगाये जाने के अलावा कुछ अतिरिक्त व्यय भूमि अध्याप्ति पर भी करना पड़ता है ।

4- अतः उक्त समस्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए हल्का वाहन मार्गों के निर्माण की व्यवहारिक उपयोगिता नहीं हो पाती है । साथ ही शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार भी आता है । अतः भविष्य में हल्का वाहन मार्गों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान न किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है । इसके अतिरिक्त जो हल्का वाहन मार्ग पूर्व में स्वीकृत हैं, उनपर कार्य प्रारम्भ न किये जायें बल्कि उन्हें मोटर मार्गों में परिवर्तित करने के लिए आगणन प्रस्तुत किये जाएं । जो हल्का वाहन मार्ग निर्माणाधीन हैं, ऐसे मार्गों को स्वीकृति सीमा तक ही पूर्ण कर लिया जाए तथा भविष्य में प्रदेश के समस्त हल्का वाहन मार्गों को चरणबद्ध रूप में जिला योजना, राज्य योजना अथवा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मोटर मार्गों में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जाए ।

भवदीय,

(चन्द्र सिंह)
अपर सचिव.

संख्या MLA-109 (1)/लो0नि0-1/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन ।
2- निजी सचिव, मुख्यसचिव, उत्तरांचल शासन ।
3- सचिव/उप सचिव/अनु सचिव लो0 निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन
4- सचिव, नियोजन, उत्तरांचल शासन ।
5- आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
6- मुख्य अभियंता, लो0नि0वि0 पौड़ी/अल्मोड़ा ।
7- समस्त अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरांचल द्वारा मुख्य अभियंता स्तर-1, देहरादून ।
8- समस्त अधि0अभि0, लो0नि0वि0, उत्तरांचल, द्वारा, मुख्य अभियंता स्तर-1, देहरादून ।

---3

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

-3-

9- वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन ।

10- लोक निर्माण अनुभाग-1 एवं 2

11- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
अनु सचिव.

Scanned with CamScanner